Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में मारपीट व छेडछाड करने की घटना कारित करने के आरोपी प्रवीण को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 03 वर्ष कारावास व 11000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त प्रवीण पुत्र घनश्याम निवासीगण अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के द्वारा मारपीट व छेडछाड करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 418/2022 धारा 147/148/323/324/338/354बी/452/504/506/307/352/325/326 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 24.08.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त प्रवीण को दोषी पाते हुये 03 वर्ष का कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

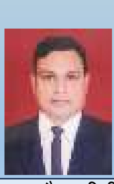

श्री गगन गौड एडीजीसी

उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह सिद्धू विवेचक

का0 योगेश कुमार कोर्टपैराकार

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

BAGHPAT POLICE

थाना खेकडा साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

थाना खेकडा साइबर सेल, जनपद बागपत के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के खाते से 12,000/- रूपये की ऑनलाईन धोखाधड़ी के सम्पूर्ण धनराशि 12,000/- वापस कराये गये –

पीड़ित सोनू जैन पुत्र विजय कुमार जैन निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन 12,000/- रुपये की धोखाधड़ी कर ली थी। इसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, जिसका ACK नं0 33106260142528 है। शिकायत प्राप्त होने पर थाना खेकडा साइबर सेल टीम उ0नि0 नितिन कुमार व रि0का0 605 नारायण द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीडित के बैंक खाते से ऑलाईन धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि 12,000/- रूपये को कोर्ट ऑर्डर माध्यम से वापस कराया गया।

रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा थाना खेकडा जनपद बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना खेकड़ा	33106260142528	12,000/-

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 24.08.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 362/26 धारा 318(4)/338/336(3)340(2) बीएनएस मे वाछिंत 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

विवरण

दिनांक 02.06.26 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मोनू पुत्र अशोक निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्लॉट विक्रय कर 7,00,000 रूपये हडप लेना । इस संबन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 537/26 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 362/26 धारा 318(4)/338/336(3)340(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अशोक पुत्र रामपाल उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-रामपाल उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-का0 443 रामेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 24.08.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे/निशांदेही से गाजियाबाद व अन्य स्थानो से चोरी की हुई 04 मोटरसाईकिल बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे/निशांदेही से गाजियाबाद व अन्य स्थानों से चोरी की हुई 04 मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0स0 555/26 धारा 555/26 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया है अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- **01 मोटरसाईकल चोरी की रजि0नं0 UK17H0820**
- **01 एच एफ डीलक्स रंग काला लाल व रजि0नं0 DL11SK7653**
- **01 टीवीएस अपाचे रंग नीला व रजि नं0 UP14GZ0208 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 66/2026 थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद)**
- **01 टीवीएस स्पोर्टस रंग काला व रजि0न0 MP07NE8731 एच एफ डीलक्स रंग काला लाल**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सोनू पुत्र राजू निवासी बागेश्वर मंदिर कस्बा बागपत उम्र करीब 26 बर्ष ।
2. मिंटू पुत्र गज्जू निवासी बागेश्वर मंदिर कस्बा बागपत उम्र करीब 20 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणो का अपराधिक इतिहास-

1.सोनू पुत्र राजू नि0 बागेश्वर मंदिर कस्बा बागपत उम्र करीब 26 बर्ष

मु0अ0सं0 1226/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली बागपत
मु0अ0सं0 1228/18 धारा 379 भादवि0 थाना कोतवाली बागपत
मु0अ0सं0 1229/18 धारा 414 भादवि0 थाना कोतवाली बागपत
मु0अ0सं0 197/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
मु0अ0स0 555/26 धारा 555/26 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1उ0नि0 श्री शारिक अली खान थाना कोतवाली जनपद बागपत
2उ0नि0 श्री अंकित चौहान के थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली　　　　　　　　दिनाँक 24.08.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने जुआ की खाई बाडी करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 52 ताश पत्ते 1070 रुपये बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सटटा खेलने वाले अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान जुआ खेलते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त के कब्जे से 52 ताश पत्ते, 1070 रूपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.दिलशाद पुत्र जाकिर निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 44 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते।
- 1070/- रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
2.है0का0 222 अनुज कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
3. हो0गा0 400 रविन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत ।
4. हो0गा0 461 निखिल थाना बिनौली जनपद बागपत।